न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस
प्रकरण संख्या: 316/2021/दावा 136 एलआरएक्ट
उदय सिंह पुत्र माल सिंह जाति राजपुत निवासी सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

व ना म

तहसीलदार, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1. **श्री अनिल शर्मा वकील वादी की ओर सें।**

नि र्ण य **दिनांक – 29.03.2022**

1. वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की पैतृक रिकार्डेड खातेदारी सुदा कृषि भूमि ग्राम सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खाता सं. 237 ख.नं. 110, 111 कुल 2 कुल रकबा 2.81 है. में हिस्सा 3/16, खाता सं. 159 ख.नं. 523, 525, 526 कुल 3 कुल रकबा 2.21 है. में हिस्सा 1/72 है. खाता सं. 240 ख.नं. 146, 148 ता 151 कुल 5 कुल रकबा 1.58 है. में हिस्सा 1/10, खाता सं. 124 ख.नं 19, 900, 901, 905 कुल 4 कुल रकबा 4.31 है. मे हिस्सा 1/18 जो कि रिकार्ड सुदा है। वादी अपने पिता मालसिंह उर्फ भोलूसिंह के उपरोक्त हिस्से पर काबिज होकर खातेदारी अनुसार अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है जिसमे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादी के पिता मालसिंह उर्फ भोलुसिंह का हिस्सा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था लेकिन रेवन्यू अधिकारियों कि भुलवश/त्रुटिवश वादी का माल सिंह की जगह भोलुसिंह के नाम से अंकन हो गया व उक्त गलत अंकन की वजह से वादी राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ व सबसिडियां प्राप्त नहीं कर सकता है इस प्रकार गलत नामांकन के आधार पर वादी के पिता मालसिंह उर्फ भोलुसिंह की जगह भोलुसिंह का अंकन हो गया है जिससे वादी को साम्पतिक अधिकारों का नुकसान होता है व राज्य

सरकार से मिलने वाली योजनाओं से वंचित होना पडता है इसलिए वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे उसके हिस्से अनुसार नाम भोलुसिंह की जगह वादी के पिता मालसिंह उर्फ भोलुसिंह का अंकन होना आवश्यक है। वादी के पिता की अपने उक्त हिस्से की कृषि भुमि पर से गलत अंकन भोलुसिंह की जगह रिकार्ड दुरूस्ती के द्वारा मालसिंह उर्फ भोलुसिंह अंकित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादी द्वारा दिनांक 21.11.2021 को अपने वर्तमान रिकार्ड जमावन्दी की नकल प्रति निकलवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना उसके पिता मालसिंह उर्फ भोलुसिंह की जगह भोलुसिंह का अंकन है तथा वादी के पिता मालसिंह उर्फ भोलुसिंह की मृत्यु भी हो चुकी है इस प्रकार अपनी पैतृक जगह पर वादी विरासत का नामान्तकरण रिकार्ड में अपने पिता के नाम में दुरूस्ती करवाकर नामांकन करवाना चाहता है इसलिए वाद कारण पैदा होकर रिकार्ड दुरूस्ती का दावा लाया जाना लाजिम हुआ है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 110, 111, 523, 525, 526, 146, 148, 149, 150, 151, 19, 900, 901, 905 वाके ग्राम सामी पटवार हल्का सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम भोलुसिंह के स्थान पर वादी की पिता का सही व वास्तविक नाम मालसिंह उर्फ भोलुसिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी के पिता का नाम भोलुसिंह के स्थान पर वादी की पिता का सही व वास्तविक नाम मालसिंह उर्फ भोलुसिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दातारामगढ़ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट में अंकिन किया कि भोलूसिह पुत्र अमररिंह तथा मालसिह पुत्र अमरसिह दोनो व्यक्ति एक ही होना बताया है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर भोलूसिह उर्फ मालसिह पुत्र अमरसिह जाति राजपुत शुद किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 110, 111, 523, 525, 526, 146, 148, 149, 150, 151, 19, 900, 901, 905 वाके ग्राम सामी पटवार हल्का सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी के पिता का नाम भोलुसिंह के स्थान पर वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम मालसिंह उर्फ भोलुसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/22

(राजेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ